हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 107

मंगलवार, 15 मार्च, 2016/25 फाल्गुन, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

बैठक के प्रारम्भ होते ही श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि उन्होंने दिनांक 10 मार्च, 2016 को कुल्लू-मनाली के पर्यटन व्यवसाय से सम्बन्धित मामले पर नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था जिसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह एक अति महत्वपूर्ण और वहां के लोगों के रोज़गार से जुड़ा सीधा मामला है। इस पर तुरन्त चर्चा करवाई जाए। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने भी उनकी बात का समर्थन किया तथा कहा कि इस विषय पर यदि नियम-67 के अन्तर्गत नहीं तो किसी दूसरे नियम के तहत तुरन्त चर्चा करवाई जाए।

इस पर संसदीय कार्य मन्त्री ने तुरन्त हस्तक्षेप किया तथा दिनांक 16 मार्च, 2016 को नियम-62 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा करवाए जाने की सरकार की सहमति के उपरान्त माननीय अध्यक्ष ने इस बारे सदन को सूचित किया।

1. <u>**प्रश्नोत्तरः**</u>

(i) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 2884 से 2887 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2888 से 2924 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1238 से 1252 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>12-00 PM</u>

2. <u>**कागज़ात सभा पटल पर :**</u>

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः पर (एपी-बी)बी(2)-4/99 दिनांक 23.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.02.2016 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशीक्षण एवं विदेशी समनुदेशन विभाग, सहायक आचार्य (सूचना प्रोद्यौगिकी), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः का0(प्रशि0)बी(1)-1/2006-II दिनांक 08.02.2016 द्वारा अधिसूचित

तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.02.2016 को प्रकाशित; और

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, अनुदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः का0(प्रशि0)बी(1)-1/2006-III दिनांक 17.11.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.11.2015 को प्रकाशित।

(2) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, सहायक खनन निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-II(बी)2-5/2010 दिनांक 13.12.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.01.2014 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, खनन निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-II(बी)2-6/2006 दिनांक 09.06.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.09.2015 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी सहायक (भू-विज्ञान), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-II(बी)2-2/2014 दिनांक 26.08.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.09.2015 को प्रकाशित; और

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सर्वेक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-II(बी)2-3/2014 दिनांक 25.08.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.09.2015 को प्रकाशित।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री खूब राम, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **132वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 115वें मल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **54वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या 4) के पैरा संख्याः4.7 की संवीक्षा पर आधारित है तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम समिति** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **16वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 14वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **17वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है।

12-05 PM

4. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चाः

श्री किशोरी लाल ने निम्नलिखित विषय पर चर्चा उठाईः-

"दिनांक 9 मार्च, 2016 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 2790 के उत्तर से उत्पन्न विषय।"

माननीय **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।

5. **<u>वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानः सामान्य चर्चा।</u>**

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया :-

1.) डॉ0 राजीव बिन्दल

(अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

2.) श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री
3.) श्री महेन्द्र सिंह
4.) श्री कर्ण सिंह, सहकारिता एवं आयुर्वेद मंत्री
5.) श्रीमती सरवीन चौधरी
6.) श्री बलबीर सिंह वर्मा
7.) श्री महेश्वर सिंह
8.) श्री कुलदीप कुमार

(सांय 5.00 बजे सदन की बैठक सांय 5.30 बजे तक बढ़ाई गई।)

9.) श्री गोविन्द सिंह ठाकुर
10.) श्री नन्द लाल, मुख्य संसदीय सचिव

(सांय 5.30 बजे सदन की बैठक सांय 6.00 बजे तक बढ़ाई गई।)

11.) श्री नरेन्द्र ठाकुर

(सांय 6.00 बजे सदन की बैठक सांय 6.15 बजे तक बढ़ाई गई।)

(सदन की बैठक सांय 6.10 बजे बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)